

परिशिष्ट

(देखिये नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फॉर्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण:-

1.

- (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /
— परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त
विवरण रा0मा0— 123 के किमी0 75.00 से कि0मी0
101.00 तक के भाग का चौड़ीकरण हेतु
वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव
- (ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि—
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप संलग्न हैं
- (ग) परियोजना की लागत — 530.44 लाख
- (घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित —
करने का औचित्य मार्ग वन क्षेत्र से होकर पूर्व से ही गुजर
रहा है, जिसका चौड़ीकरण किया जाना है
इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है
लागू नहीं
- (ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जाने के लिए)
- (च) रोजगार जिनके पैदा होने की —
सम्भावना हैं 500000 मानक दिवस सृजित होंगे

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार —
विवरणपूर्व निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण हेतु कुल
46.800 है0 सिविल एवं आरक्षित भूमि की
आवश्यकता है लैण्ड शेड्यूल पृ0सं0.....
पर संलग्न हैं3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने
का विवरण, यदि कोई है

(क) परिवारों की संख्या —

लागू नहीं

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के —
परिवारों की संख्या

लागू नहीं

(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने—
के लिये)

लागू नहीं

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय) संलग्न हैं
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा संलग्न हैं

दिनांक 15-11-14

स्थान- बड़कोट

हस्ताक्षर



बलराम मिश्रा

नाम-(स्पष्ट अक्षरों में) अस्थायी

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो.नि.वि.
सरकारी मोहर बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रस्ताव की कम सं०.....

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

कार्य का नाम— जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय मार्ग-123 (507) (हरबर्टपुर से बड़कोट ब्रैड) के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी0 75.00 से किमी0 101.00 तक के भाग का चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम सं०.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

रा०मा०- 123 के किमी0 75.00 से 101.00 तक के भाग का चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

(01) राज्य/संघशासित क्षेत्र—

उत्तराखण्ड राज्य

(02) जिला—

उत्तरकाशी

(03) वन प्रभाग—

अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट

(04) वनेत्तर प्रयोग के लिये— प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है० में)

(05) वन की कानूनी स्थिति—

3.18.6 है०

(06) हरियाली का घनत्व—

आरक्षित एवं सोयम वन भूमि

(07) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और— परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ०आर० एल०-8 मी० पर परिगणना भी संलग्न की जाय

0.4 से कम हैं

संलग्न है

(08) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

संवेदनशील क्षेत्र नहीं हैं भू-वैज्ञानिक की आख्या पृ०सं० 1.3.1 पर संलग्न हैं वन क्षेत्र से होकर मार्ग गुजर रहा है पूर्व निर्मित मोटर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है

(09) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी

(10) क्या फॉर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)

नहीं

(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ संकटापन/वर्धित प्रजातियां पाई जाती हैं, यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें

नहीं

कार्य का नाम— जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय मार्ग-123 (507) (हरबर्टपुर से बडकोट बैड) के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी0 75.00 से किमी0 101.00 तक के भाग का चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

- (12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत् सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों नहीं
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम दो प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम हैं यदि नहीं तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या हैं पूर्व निर्मित मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है अतः प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां / नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चाह रहे हैं नहीं
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा संलग्न है
- (1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस - पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार संलग्न है
- (2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस - पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप संलग्न है
- (3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि संलग्न है
- (4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय संलग्न है
- (5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय) संलग्न है

कार्य का नाम— जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय मार्ग-123 (507) (हरबर्टपुर से बड़कोट बैड) के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से किमी० 101.00 तक के भाग का चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, विषेशतः उपर्युक्त कॉलम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें संलग्न है
12. प्रभाग/जिला प्रोफाइल— अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट
- 74394.5 है०
- (1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र है०
- (2) जिला का वन क्षेत्र मामले, है०
- (3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वने-त्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र है०
- (4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण है०
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि पर —
- (ख) वनेत्तर भूमि पर —
- (ग) अब तक प्रतिपूरक वनी-करण हुई प्रगति है०
- (घ) वन भूमि पर —
- (च) वनेत्तर भूमि पर प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विषेश सिफारिश

दिनांक

स्थान— बड़कोट

हस्ताक्षर

नाम— (डी०के० सिंह)
प्रभागीय वन अधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)
सरकारी भोहर

कार्य का नाम— जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय मार्ग-123 (507) (हरबर्टपुर से बडकोट बैड) के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से किमी० 101.00 तक के भाग का चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

भाग - 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए वृक्षों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें
15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विवेक सिफारिशें

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम:-

सरकारी मोहर

कार्य का नाम— जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय मार्ग-123 (507) (हरबर्टपुर से बडकोट बैड) के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी0 75.00 से किमी0 101.00 तक के भाग का चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

भाग — 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम:—

सरकारी मोहर

कार्य का नाम— जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय मार्ग-123 (507) (हरबर्टपुर से बडकोट बैड) के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से किमी० 101.00 तक के भाग का चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

भाग — 5

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्रधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18. राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या भाग- IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विविष्ट टिप्पणी की जाय)

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम—

सरकारी मोहर